

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उपवान

.....सरजन सिंह..... वनाग उरजन सिंह आदि.....

चाचा बाबत :- 88.211.11

मुकदमा नम्बर :- 318/2021


निर्णय दिनांक :- 02-11-2021

वादी की ओर से वकील गौरव गजनी की व प्रतिवादी सं0.1..... की ओर से वकील राजेश कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेही गौजा उवाडी के खाता सं 522/429 के खसरा सं 33, 40, 41, 62 कुल 6.0840 हे. कारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 के नाम 05/10/14 दिरसा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं 1 उरजन सिंह का भाग कुलमजुन किया जाकर उही स्थान पर वादा सरजन सिंह को खातेदार का इतना व अधिक किया जाता है। प्रतिवादी सं 1 ने अपना सम्पूर्ण खसरा वादी के पक्ष के लिये कर ग्रहण कर लिया है इसलिए लघाग किम गति दिरसे पर पेनाल्टी विकारा का दाय पंजीयन मुलक एवं स्वाम्य उरजे दिया करेन व यदि कृषि मुक्ति केंद्र के खसरा हो तो खसरा मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अग्रमु दरामय किया जाव। रजि नामा को डिली का भाग परा जाव।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुन्तला चौधरी)  
(शिविर प्रभारती)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
भादराम, जिला-दनुमनिगढ़  
S105